दिनांक 03.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 05/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद खीरी/थाना नीमगांव

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 02 लाख 52 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 03.05.2025 को थाना नीमगांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 06 अभियुक्तों 1–अटल 2–विशाल 3–सूरज 4–सत्यम 5–राकेश 6–रोहित को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 लाख 52 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना नीमगांव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नीमगांव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्तों से बरामद रूपये लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अटल निवासी चमारनटोला कस्बा व थाना महोली जनपद सीतापुर।

2–विशाल निवासी अमेठिया थाना टड़ियावा जनपद हरदोई।

3–सूरज निवासी चमारनटोला कस्बा व थाना महोली जनपद सीतापुर।

4–सत्यम निवासी अमेठिया थाना टड़ियावा जनपद हरदोई।

5–राकेश निवासी सुनारनटोला कस्बा व थाना महोली जनपद सीतापुर।

6–रोहित निवासी चमारनटोला कस्बा व थाना महोली जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–लूट के 02 लाख 52 हजार रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 02.05.2025 को थाना सतरिख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कमरपुर चौराहा के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त महेन्द्र कुमार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म कर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बाराबंकी, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सतरिख पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—महेन्द्र निवासी भेड़िहन पुरवा मजरे सिकन्दरपुर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी</u>

1—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) ।

2—01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

<u>कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मडियांव</u>

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 07 ई—रिक्शा, 29 बैट्री, 01 स्कूटी बरामद**

दिनांक 03.05.2025 को थाना मडियांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मड़ियाव पुल के नीचे रेलवे लाइन के पास से 05 अभियुक्तों 1—मो0 फुरकान उर्फ बाटे 2—मो0 हलीम 3—मो0 इम्तियाज 4—विशाल 5—सूरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 07 ई—रिक्शा, 29 बैट्री, 01 स्कूटी बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि थाना मडियांव क्षेत्रान्तर्गत चोरो द्वारा चोरी की घटनाएं कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ई—रिक्शा आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मडियांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0 फुरकान उर्फ बाटे निवासी ग्राम लिधौरा वाजिद अली निकट पैतेपुर चौकी थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर हाल पता कुल्फी मोहल्ला सज्जादगंज थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।

2—मो0 हलीम निवासी ग्राम लिधौरा वाजिद अली निकट पैतेपुर चौकी थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर हाल पता कुल्फी मोहल्ला सज्जादगंज थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।

3—मो0 इम्तियाज निवासी ग्राम लिधौरा वाजिद अली निकट पैतेपुर चौकी थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर हाल पता कुल्फी मोहल्ला सज्जादगंज थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।

4—विशाल निवासी ग्राम सैम्सी थाना माल, लखनऊ।

5—सूरज निवासी हाल पता छोटी कालोनी थाना दुबग्गा लखनऊ मूल पता त्रिवेणी नगर रामलीला पार्क के पास थाना बाजार खाला, लखनऊ।

बरामदगी

1—चोरी के 07 ई—रिक्शा, 29 बैट्री, 01 स्कूटी बरामद।

ए०एन०टी०एफ० / ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट बरेली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 500 ग्राम अवैध स्मैक**
- **02 मोबाइल फोन**
- **02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 02.05.2025 को ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट बरेली द्वारा सूचना के आधार पर बलिया ओवरब्रिज के पास से ग्राम मुगलपुरा जाने वाले रास्ते से अभियुक्त 1—राशिद 2—वाहिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे / निशादेही से लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 500 ग्राम अवैध स्मैक, 02 मोबाइल फोन, 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहगंज पश्चिमी, जनपद बरेली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राशिद निवासी ग्राम कस्साबान कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

2–वाहिद निवासी कल्लू मियां का तकिया हुसैनबाग बाकरगंज थाना किला जनपद बरेली।

बरामदगी

1– लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 500 ग्राम अवैध स्मैक।

2–02 मोबाइल फोन।

3–02 मोटर साइकिल बरामद।

जनपद सहारनपुर/थाना नकुड़

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **580 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 03.05.2025 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम चढ़ाव के पास से 02 अभियुक्तों 1–महरून 2–शौकीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 580 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–महरून निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

2–शौकीन निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–580 ग्राम अवैध स्मैक।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना बसखारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना बसखारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अच्छन को आजीवन कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चन्दौली/थाना धानापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चन्दौली द्वारा थाना धानापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विरेन्द्र को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना अचलगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के कारावास की सजा व 40 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना अचलगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377/342 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विमल को 25 वर्ष कारावास व 40 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना विण्ढमगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना विण्ढमगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त इमरान को 20 वर्ष कठोर कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 16–16 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सतरिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/323/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–पप्पू उर्फ संजय 2–अजय 3–उमाशंकर को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 16–16 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 03.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 06/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

इंस्टाग्राम पर आत्महत्या संबंधी पोस्ट का संज्ञान लेकर तत्काल पोस्ट अपलोड करने वाली छात्रा के जीवनरक्षा हेतु की गई काउंसलिंग

दिनांक 02–05–2025 को जनपद सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय छात्रा द्वारा सलफास की गोलियों का रैपर एवं **"आज से सबको गुडबाय अगर गलती हो गयी हो मारे से तो माफ कर देना मूड ऑफ"** यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 02–05–2025 को समय 16:53 बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई–मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री प्रशान्त कुमार द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल युवक की लोकेशन की जानकारी करके जनपद सहारनपुर को लगभग 10 मिनट के अन्दर प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना नकुड़ के उ0नि0 द्वारा महिला आरक्षी के साथ मात्र 10 मिनट के अन्तराल में छात्रा के घर जाकर परिजनों की उपस्थिति में उससे जानकारी की गयी, जिस पर उक्त छात्रा द्वारा बताया गया कि आर्थिक तंगी के कारण अवसाद में आकर इंस्टाग्राम पर आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट करने के उपरांत वह आत्महत्या करने जा रही थी। पुलिस द्वारा समय से मौके पर पहुँच कर परिजनों के सहयोग से छात्रा को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउंसलिंग की गयी, जिस पर छात्रा द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया।

छात्रा के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई–मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। **दिनांक 01–01–2023 से 30–04–2025 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 875 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।**

———————